राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1535 दिनांक : 14.12.2022

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. उतमाराम पुत्र लिछमणाराम, जाति जाट, निवासी कुम्पलिया, तहसील गिड़ा (बाड़मेर) | | 1. सरदाराराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा 17, जाति जाट, निवासी कुम्पलिया, तहसील गिड़ा (बाड़मेर) |

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 375 / 2022

## आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – पूनियों की बेरी, पटवार हल्का – परेऊ, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 925 / 352 रकबा 6.2160 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

14/12/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 1536 - 1540 दिनांक : 14.12.2022

**प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का परेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री उतमाराम पुत्र लिछमणाराम,
4. विप्रार्थी श्री सरदाराराम पुत्र लिछमणाराम,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / मांगता।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.30 11:57:28 IST
Reason: SelfAttested

14/12/2022

उपखण्ड अधिकारी
बायतु
जिला – बाड़मेर